

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिपिर अटल सेवा केन्द्र - माजरी खोला

पीठारीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा सं०

177/2010

रजू दिनांक

18.07.2016

अंतिम निर्णय दिनांक

15.05.2018

अनुवांन

1. रोहताश पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी पदमाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर राज० हाल आबाव ए-288 सकुरपुर आनन्दवास नई दिल्ली 110034

:-वादी

बनाम


1. विजयपाल पुत्र हरिराम
2. राजेश पुत्र हरिराम जातियान ब्राह्मण निवासीयान पदमाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, मुण्डावर

:-असल प्रतिवादीगण

5. कमला पुत्री हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी हाल पत्नी मुकेश कुमार निवासी मोरुंड तह० नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरि०।
6. पिंकी पुत्री मुकेश जाति ब्राह्मण नाबालिग जरिये सरप्रस्त तारु कैलाश पुत्र द्वारका प्रसाद ब्राह्मण निवासी देवता तह० कोटपूतली जिला जयपुर राज०।

:-तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा:-तकासमा आराजी बम्य हु० ई० दवामी


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

-:अन्तिम पर्चा डिक्री:-


दिनांक:- 15.05.2018

उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 16.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

विवादित आराजी ख0 नं0 120/0.42 है0 वाके ग्राम पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नामु प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जर्ये हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जेकाशत में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा ना करें, पाबंद रहे। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 15.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (अलवर) राज०
मुण्डावर (अलवर)